उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

एकल पीठ : माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

प्रकीर्ण अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 525/2006

रॉयल सुंदरम एलायंस इन्श्योरेन्स कंपनी

बनाम

लखन लाल एवं अन्य 4

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(दिनांक 6-08-2007 के लिए सूचीबद्ध)

हस्ताक्षरित/-

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छतीसगढ़

प्रकीर्ण अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 525/2006

अपीलार्थी : रॉयल सुंदरम एलायंस इन्श्योरेन्स कंपनी, प्रथम तल,

रचना ट्रेड एस्टेट, एसएनडीटी क्रॉसिंग प्लॉट नं. 64,

विधि महाविद्यालय मार्ग, पुणे, (मैसर्स)द्वारा–शाखा प्रबंधक,

प्रथम तल, चावला कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड के पास,

पंडरी, रायपुर छ.ग., (अनावेदक क्रमांक–3)

बनाम

प्रत्यर्थी : 1. लखन लाल आ. स्व. बुधूराम, आयु 55 वर्ष लगभग

2. पुन्नी बाई पति लखन लाल पटेल, आयु 53 वर्ष लगभग

3. श्रीमती नर्बदिया बाई पति स्व. बुधूराम, आयु 70 वर्ष लगभग,

सभी निवासी ग्राम अमोदी, पोस्ट आमोदी, व्हाया. खरोरा

तहसील आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.) (दावेदार)

4. तुलस राम निषाद पिता श्री तोरण लाल निषाद, आयु 21 वर्ष लगभग

(वाहन चालक, अनावेदक क्रमांक 1)

5. पुनीत राम साहू पिता रामसिंह, आयु 37 वर्ष लगभग

(वाहन स्वामी, अनावेदक क्रमांक 2)

दोनों निवासी ग्राम अमोदी, पोस्ट अमोदी, व्हाया. खरोरा,

तहसील आरंग, जिला–रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 173 के तहत अपील का ज्ञापन

उपस्थित:

अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता श्री सचिन सिंह राजपूत।

प्रत्यर्थी क्रमांक– 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर वर्मा।

प्रत्यर्थी क्रमांक– 4 एवं 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सी. आर. साहू एवं श्री प्रकाश तिवारी।

निर्णय

(दिनांक 6–08–2007 को पारित)

1. बीमाकंपनी द्वारा यह अपील अष्टम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एफ.टी.सी.) रायपुर (जिसे आगे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबोधित किया जाएगा) द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 46/2006 में पारित दिनांक 6-10-2006 के अधिनिर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में स्वीकृत तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 27-01-2006 को मृतक लेखराम, आयु 15 वर्ष (लगभग) की आकस्मिक मृत्यु के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा 1,17,500/- (एक लाख सत्रह हजार पाँच सौ रुपये) क्षतिपूर्ति दी गई। प्रत्यर्थी क्रमांक 4, तुलस राम, वैध चालन अनुज्ञप्ति के साथ ट्रैक्टर क्रमांक सी.जी.04-डी-0167 चला रहा था, जिसके साथ एक ट्रेलर क्रमांक सी.जी.04-डी-168 जुड़ा हुआ था। बीमा पॉलिसी के अंतर्गत ट्रैक्टर/ट्रेलर केवल कृषि और वानिकी प्रयोजनों के लिए बीमित है एवं वाहन चालक एवं खलासी के जोखिम को कवर करती है प्रत्यर्थी क्रमांक-5 पुनीतराम साहू दुर्घटना की तिथि को ट्रैक्टर/ट्रेलर का स्वामी था।

3. आवेदक ने मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत अपने आवेदन में कथन किया है कि तुलसराम द्वारा तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के कारण, मृतक लेखराम (जो चालक के साथ बैठा था) की गिरने से मृत्यु हो गई।

4. प्रत्यर्थी क्रमांक– 4, 5 (ट्रैक्टर/ट्रेलर के स्वामी एवं चालक) ने अपने लिखित जवाब में अभिवचनों को पूरी तरह से इंकार किया है।

5. अपीलार्थी/बीमाकर्ता ने दावे एवं क्षतिपूर्ति देने के दायित्व से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि मृतक लेखराम, चालक के साथ ट्रैक्टर पर बैठा था जो बीमा पॉलिसी का मूलभूत उल्लंघन है, अतः इसलिए, बीमाकर्ता दोषमुक्त होने योग्य है। वैकल्पिक रूप से, यह भी तर्क दिया गया कि, भले ही यह माना गया हो कि मृतक लेखराम ट्रेलर पर यात्रा कर रहा था, वह एक निःशुल्क यात्री था जिसके लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था, और इसलिए क्षतिपूर्ति देने का दायित्व बीमा कंपनी पर नहीं लगया जा सकता।

6. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा वाहन चालक तुलसराम के साक्ष्य पर पूर्ण विश्वास करते हुए एवं दावेदार लखनलाल के साक्ष्य पर अविश्वास करते हुए, कि उसने दुर्घटना नहीं देखी थी, माना कि मृतक लेखराम दुर्घटना के समय ट्रेलर पर बैठा था। यह घटना तुलसराम की उपेक्षापूर्वक एवं उतावलापन से वाहन चलाने के कारण हुई थी। चूंकि वाहन चालक तुलसराम के पास वैध चालन अनुज्ञप्ति थी, इसलिए बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी था क्योंकि पॉलिसी के अंतर्गत तृतीय पक्ष का जोखिम वैध रूप से बीमित किया गया था। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अपीलार्थी/बीमाकर्ता के विरुद्ध 1,17,500/–(एक लाख सत्रह हजार पाँच सौ रुपये) क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. बीमा कंपनी द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री सचिन सिंह राजपूत ने अपने तर्क में कहा कि चालक तुलसराम के साक्ष्य को विचारोपरांत निरस्त कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि उसने पक्षों द्वारा साक्ष्य परीक्षण समाप्ति पश्चात अनुमति मांगकर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष कठघरे में प्रवेश कर कथन दर्ज कराया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन एवं अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत आवेदन में दावेदारों द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि मृतक लेखराम चालक के साथ बैठा था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन को आधार मानकर उसे प्रदर्शित करने के पश्चात दावेदार अपने कथन से मुकर नहीं सकते एवं यह तर्क नहीं दे सकते, कि यह प्रमाणित नहीं है, कि दुर्घटना के समय मृतक लेखराम ट्रैक्टर पर चालक के अतिरिक्त बैठा था। **ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रेमलता शुक्ला और अन्य 2007 इंडलॉ एससी 553 और राष्ट्रीय बीमा कंपनी बनाम ब्रमरनबाइक एवं अन्य 2006 एसीजे 671** को आधार मानकर तर्क देते हुए कहा गया कि लेखराम एक निःशुल्क यात्री था, अतः बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं था।

8. दूसरी ओर प्रत्यर्थी क्रमांक– 4 एवं 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश तिवारी ने मध्य प्रदेश मोटरयान नियम, 1994 (जिसे आगे "नियम" से संबोधित किया जाएगा) के नियम 97(7) को आधार माना, जिसमे कृषि या कृषि

से संबंधित किसी भी उद्देश्यों, जिसमे कृषि से सम्पूर्ण संबंधित वस्तुओं की खरीदी–बिक्री शामिल है, तथा जिसके लिए मजदूरों और कृषकों के परिवार के सदस्यों को ले जाना शामिल है। **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम धनुर्जय खोसला एवं अन्य, 1988 एसीजे 1065** को आधार मानते हुए प्रत्यर्थी क्रमांक- 1 से3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर वर्मा ने आक्षेपित अधिनिर्णय के समर्थन में तर्क देते हुए कहा कि चूंकि मृतक लेखराम ट्रैक्टर में सहायक के रूप मे यात्रा कर रहा था, अतः बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति देने के दायित्व से बच नहीं सकता।

9. दोनों पक्षों के तर्क पर विचारोपरांत अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस विवादास्पद मुद्दे को ठीक से समझने के लिए, कि क्या अपीलार्थी/बीमाकर्ता बीमा पॉलिसी के मूलभूत उल्लंघन को प्रमाणित करने में सक्षम था, पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क और साक्ष्यों के साथ पॉलिसी के विषय–वस्तु पर भी विचार करना आवश्यक है। अपीलार्थी/बीमाकर्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्र–सह–पॉलिसी (प्र.डी.-1) के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि पॉलिसी में दुर्घटना में मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में तृतीय पक्ष के जोखिम को वैध रूप से बीमित किया गया था जैसा कि मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है एवं कृषि एवं वानिकी प्रयोजनों को भी बीमित किया गया है। ट्रैक्टर/ट्रेलर के मूल प्रीमियम के अतिरिक्त वाहन चालक या सफाइकर्मी के जोखिम के लिए भी प्रीमियम का भुगतान किया गया था। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि ट्रैक्टर और ट्रेलर दोनों को कृषि और वानिकी प्रयोजनों के प्रयोग हेतु अपीलार्थी/बीमाकर्ता द्वारा बीमा प्रमाणपत्र–सह–पॉलिसी के अंतर्गत बीमित किया गया था जिसमे ट्रैक्टर के चालक और खलासी का जोखिम भी बीमित था।

10. अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यह विशिष्टतः उल्लेखित किया गया है कि मृतक लेखराम दिनांक 21-07-2006 को वाहन स्वामी पुनीतराम साहू के ट्रैक्टर में कुली/मजदूर के रूप में गया था और कृषि मंडी, तिल्दा से धान भरने के बाद, तुलसराम द्वारा चलाया जा रहा ट्रैक्टर मृतक लेखराम के साथ लौट रहा था। इसके विपरीत, अपीलार्थी/बीमाकर्ता द्वारा मात्र कंडिका-3 में उल्लेखित विवरणों के अस्वीकरण के अतिरिक्त कोई विशिष्ट अस्वीकरण नहीं किया गया है। यहाँ तक कि वाहन स्वामी एवं चालक ने अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत आवेदन में कंडिका–3 में उल्लेखित विवरण को विशिष्ट रूप से अस्वीकार किया है, कि ट्रैक्टर कृषि उपज मंडी, तिल्दा से धान भरने के बाद लौट रहा था एवं मृतक लेखराम पटेल ट्रैक्टर में कुली/मजदूर के रूप में यात्रा कर रहा था। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–8, नियम–5, उप–खंड(1) के अंतर्गत वादपत्र में तथ्य का प्रत्येक अभिकथन, यदि विशिष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, या प्रत्यर्थी के तर्क में स्वीकार नहीं किया गया है, तो उसे स्वीकार किया हुआ माना जाएगा, सिवाय किसी विकलांग

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

व्यक्ति के विरुद्ध। अतः यह प्रमाणित है कि मृतक लेखराम का ट्रैक्टर/ट्रेलर पर कुली/मजदूर के रूप में यात्रा करना एक स्वीकृत तथ्य है।

11. ट्रैक्टर चालक तुलसराम निषाद, ने कटघरे मे आकर साक्ष्य के रूप मे अभिवचन किया कि लेखराम ट्रेलर में बैठा था और उसके अचानक ब्रेक लगाने पर वह गिर गया। प्रतिपरीक्षण में यह साक्ष्य पूर्णतः अखंडित है। तुलसराम ने इस बात का पूरी तरह से सुझाव दिया था कि लेखराम उसके ट्रैक्टर पर बैठा था एवं उसने पुनः अभिवचन किया है कि लेखराम ट्रेलर पर बैठा था। अपीलार्थी/बीमाकर्ता द्वारा पूछे गए एक प्रमुख प्रश्न पर उसने स्वीकार किया है कि लेखराम उसके साथ कृषि कार्य हेतु कृषि उपज मंडी गया था। तुलसराम निषाद एक मुख्य साक्षी है जिसकी दुर्घटना के समय उपस्थिति पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता क्योंकि दुर्घटना के समय वह ट्रैक्टर/ट्रेलर का चालक था।

12. अपीलार्थी/बीमाकर्ता द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री सचिन सिंह राजपूत ने अपने तर्क में कहा कि तुलसराम निषाद का साक्ष्य विचारणीय नहीं है क्योंकि उसने पक्षों द्वारा साक्ष्य परीक्षण समाप्ति पश्चात कटघरे में अपना साक्ष्य कथन किया था। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा लिखित आदेश पत्र के अवलोकन से यह दर्शित है कि दिनांक 18-09-2006 को वाहन स्वामी और चालक द्वारा बिना साक्ष्य के अपने साक्ष्य समाप्ति की घोषणा की गई एवं अगली तिथि अर्थात दिनांक 29-09-2006 को अपीलार्थी/बीमाकर्ता ने भी साक्षी अमित श्रीवास्तव (अना.सा.-3) के साक्ष्य परीक्षण पश्चात अपने प्रकरण को समाप्त किया था। वाहन स्वामी और चालक द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये उसी दिन एक आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि असावधानी के कारण उन्होनें पिछली तिथि पर कहा था कि वे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेंगे। अनुमति प्रदान की गई एवं तुलसराम निषाद के साक्ष्य को दिनांक 28.09.2006 को बाद में दर्ज किया गया। इस प्रकार तुलसराम की गवाही को बाद में दी गवाही मानकर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं चालक होने के कारण दुर्घटना का एकमात्र अच्छा साक्ष्य था।

13. आवेदक लखनलाल (आ.सा.-1) के साक्ष्य को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उसने घटना नहीं देखी थी। इस प्रकार, गुलाबचन्द निषाद (आ.सा.-2) का साक्ष्य भी यह प्रदर्शित नहीं करता है कि मृतक लेखराम ट्रैक्टर पर बैठा था या ट्रेलर पर। इस साक्ष्य से प्रतिपरीक्षण मे कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछा गया कि क्या लेखराम चालक के साथ ट्रैक्टर पर बैठा था या नहीं। एक अन्य पहलू जो विचारणीय है कि इस साक्ष्य द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी.-1), (पी.-2) या देहाती नालसी (प्रदर्श.पी.-3) दर्ज नहीं कराई गई थी। गुलाबचन्द निषाद (आ.सा.-2) की उपस्थिति का उल्लेख देहाती नालसी (प्रदर्श.पी.-3) या प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी.-1)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

और (प्रदर्श.पी.–2) में भी नहीं किया गया है। अतः विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने वाहन चालक तुलसराम निषाद (अना.सा.–2) की पूर्णतया अखंडित साक्ष्य को विश्वसनीय माना है कि लेखराम दुर्घटना के समय ट्रेलर में बैठा था।

14. पॉलिसी के उल्लंघन को प्रमाणित करने का प्रारंभिक भार बीमा कंपनी पर है। अपीलार्थी/बीमाकर्ता के साक्षी दावा प्रभारी अमित श्रीवास्तव (अना.सा.–1) द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकृत है कि अपीलार्थी/बीमाकर्ता ने अपने अधिकृत अन्वेषक द्वारा मामले की विवेचना नहीं करायी है। उनका यह साक्ष्य कि ट्रेलर मे यात्रा कर रहे किसी भी व्यक्ति का जोखिम बीमा पॉलिसी के अंतर्गत बीमित नहीं था, बीमा प्रमाणपत्र–सह–पॉलिसी (प्रदर्श.डी.–1) द्वारा स्वयं मान्य है क्योंकि प्रीमियम का भुगतान वाहन चालक एवं खल्लासी दोनों के जोखिम को बीमित करने के लिए किया गया था। नियम–97 के उपखंड(7) कृषक के नाम पर पंजीकृत ट्रैक्टर/ट्रेलर का प्रयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए करने की अनुमति देता है:

I. कृषि के प्रयोजनों के लिए या कृषि से संबंधित किसी भी प्रयोजन के लिए मजदूरों एवं कृषक के परिवार के सदस्यों को ले जाने के लिए जिसमे कृषि से संबंधित वस्तुओं की खरीद–बिक्री भी शामिल है।

II. मेले, बाजार, धार्मिक समारोहों, विवाहों एवं अन्य समारोहों के समय लोगों को ले जाने के लिए, बशर्ते कि इस प्रकार ले जाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या एक समय में 20 से अधिक न हो। अतः दुर्घटना के समय ट्रेलर पर मृतक लेखराम की उपस्थिति भी उपरोक्त नियमों का उल्लंघन नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अपीलार्थी/बीमाकर्ता द्वारा वाहन चालक तुलसराम निषाद (अना.सा.–1) से प्रतिपरीक्षण में यह प्रश्न नहीं पूछा गया कि लेखराम ट्रैक्टर/ट्रेलर के खल्लासी का कार्य नहीं कर रहा था। बीमा कंपनी का यह कर्तव्य था कि वह अपने अन्वेषण साक्ष्य प्रस्तुत करके या साक्षी से प्रतिपरीक्षण करके ऐसे सही तथ्यों को प्रकट करती। अपीलार्थी/बीमाकर्ता द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। विश्व पुस्तक शब्दकोश मे “खल्लासी” शब्द का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसका कार्य किसी औजार या मशीन को स्वच्छ रखना एवं उस पर लगे मैल, ग्रीस या दाग हटाना। मृतक लेखराम की आयु मात्र 15 वर्ष होने के कारण यह मान लेना उचित होगा कि लेखराम ट्रैक्टर/ट्रेलर के चालक के खल्लासी या सहायक के रूप मे कार्य कर रहा था।

16. उपरोक्त विवरण से यह प्रमाणित होता है कि मृतक लेखराम कृषि प्रयोजन से जा रहे ट्रेलर पर सफाइकर्मी/सहायक के रूप में यात्रा कर रहे थे जिसे वाहन चालक तुलसराम निषाद चला रहे थे। दुर्घटना के

समय एक विधिवत अनुज्ञप्ति प्राप्त चालक तुलसराम निषाद की उतावलापन एवं लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर चलाने के कारण मृतक लेखराम की आकस्मिक मृत्यु हो गई। अपीलार्थी/बीमाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत **ओरिएंटल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम प्रेमलता शुक्ला और अन्य (पूर्वोक्त)** मामले में दिया गया निर्णय स्पष्ट रूप से अलग है एवं अपीलार्थी/बीमाकर्ता के सहायता के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्रत्यर्थी यानी ट्रैक्टर/ट्रेलर के चालक और स्वामी ने किसी भी तरह से उनके द्वारा प्रस्तुर तर्क या उनके द्वारा दिए गए संदर्भित दस्तावेज़ से मुकर गए हों। इस मामले के तथ्य और परिस्थितियों में, पॉलिसी का उल्लंघन, बीमाकंपनी, वाहन स्वामी एवं चालक के मध्य का मामला है। प्रदर्श.पी.–1 और पी.–2 या देहाती नालसी प्रदर्श.पी.–3 ही मात्र तुलसराम के साक्ष्य को निरस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे क्योंकि आवेदक लखनलाल, जिसने देहाती नालसी प्रदर्श.पी.–3 दर्ज कराया था, प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। इसके अतिरिक्त **राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम ब्रमरनबाइक एवं अन्य** में अपीलार्थी/बीमाकर्ता द्वारा उद्धृत न्यायविधि भी स्पष्ट है क्योंकि वर्तमान प्रकरण में मृतक लेखराम को ट्रैक्टर/ट्रेलर के स्वामी ने सहायक के रूप मे नियुक्त किया था एवं वह उस ट्रेलर पर यात्रा कर रहा था जिसकी बीमा पॉलिसी वैध थी और न टो ट्रैक्टर पर और न ही एक निः शुल्क यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17. अतः उपरोक्त विवरण से निम्नलिखित बिन्दु प्रकट होते हैं:

1) दुर्घटना के समय ट्रैक्टर/ट्रेलर अपीलार्थी/बीमाकर्ता द्वारा जारी वैध बीमा पॉलिसी के अंतर्गत था।
2) दुर्घटना के समय ट्रैक्टर/ट्रेलर का प्रयोग कृषि प्रयोजन से किया जा रहा था।
3) ट्रैक्टर/ट्रेलर के चालक के पास वैध चालन अनुज्ञप्ति थी।
4) बीमा कंपनी की वैधानिक देयता बीमा पॉलिसी (प्रदर्श.डी.–1) के अंतर्गत बीमित थी जिसके अंतर्गत वाहन चालक और सहायक के जोखिम को बीमित करने के लिए भी प्रीमियम का भुगतान किया गया था।
5) यह कि मृतक लेखराम दुर्घटना के समय ट्रैक्टर पर नहीं, इसके विपरीत ट्रेलर में यात्रा कर रहा था और वह निःशुल्क यात्री नहीं था एवं ट्रैक्टर के स्वामी द्वारा नियोजित एक मजदूर/सहायक था।

18. विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने इस आधार पर अपीलार्थी/बीमाकर्ता पर दायित्व उचित रूप से आरोपित किया है कि वह बीमा पॉलिसी के किसी भी मूलभूत उल्लंघन को प्रमाणित करने में विफल रहा है।

परिणामस्वरूप, अपील किसी भी प्रकार के गुण–दोष से रहित होने के कारण विफल हो जाती है एवं खारिज की जाती है।

हस्ताक्षरित/–

रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

(दिनांक 6–08–2007)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

TRANSLATED BY : किरण साहू (अधिवक्ता)